16/8/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी हाजिर नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने पर भी ना तो वकील वादी हाजिर और ना ही वादी स्वयं हाजिर अतः दावा घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधि
उदयपुरवाटी (झुं

Scanned by CamScanner